महिला पंचायत

30 मार्च 1990 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में खास दिन था। उस दिन 'छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन' और 'छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा' ने महिला पंचायत बनाई। 30 मार्च को उसकी पहली बैठक रायपुर में हुई। उसमें दहेज के कारण सताई, पति द्वारा मारी-पीटी या छोड़ी औरतों पर चर्चा हुई।

महिला पंचायत जरूरी क्यों ?

थाने व अखबार की रिपोर्टों से पता चला कि दहेज के कारण आए दिन स्त्रियों को मौत का मुंह देखना पड़ता है। पत्नी को सताने, एक के रहते दूसरी शादी करने या पत्नी को छोड़ देने आदि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं।

बिरादरी की पंचायत अक्सर इन मामलों पर चुप रहती है। यदि कोई मामला उसके सामने आए या उससे फैसला करने को कहा जाए तब वह ज्यादातर औरतों के खिलाफ ही फैसला देती है।

अदालत के दर्वाजे पैसे की कमी और मुकदमे लंबे समय तक चलने के कारण उनके लिए बंद हैं। वहां भी जीत पैसे वाले की ही होती है। राजकुमारी मोटवानी के साथ हुए बर्ताव ने न सिर्फ औरतों को बल्कि समाज के सब जागरूक नागरिकों को उकसाया है। वे इस तरह के मामलों का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। इन सभी कामों को ज्यादा मजबूती से करने के लिए महिला पंचायत बनाई गई।

इसमें अनेक महिला संगठनों में काम करने वाली 13 सक्रिय औरतों को चुना गया। पहली सभा में ९ औरतें पूरे समय मौजूद रहीं। बाकी ने न आ सकने के लिए माफी मांगी। इस पंचायत को सुप्रीम कोर्ट की श्रीमती इंदिरा जयसिंह की सलाह से बनाया गया।

रायपुर का गांधी चौक 5,000 से ऊपर लोगों से खचाखच भर गया। महिला संगठनों की सदस्याओं के अलावा स्कूल-कालिजों के लड़के-लड़कियां, शिक्षक, वकील, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि, मानव अधिकारों व लोक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले कर्मी, संवाददाता और कुछ दर्शक मौजूद थे।

निर्देशक सिद्धांत

यह तय किया गया कि महिला पंचायत देश के स्त्री संबंधी कानूनों के आधार पर ही फैसले देगी। परिवार में स्त्रियों के क्या कर्त्तव्य और अधिकार हैं, समाज के नियम और मूल्यों के आधार पर तय किए जाएंगे। औरतों के अधिकारों की उचित सीमा तय की जाएगी।

राजकुमारी मोटवानी को उसका अधिकार दिलवाने में महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण काम किया था। आज हालत यह है कि स्त्री के कर्त्तव्यों की लंबी सूची है जबकि उसके अधिकार नहीं के बराबर हैं। महिला मुक्ति आंदोलन में इसे 'मील का पत्थर' माना जा सकता है। औरतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि जागरूक नागरिक

(औरत और पुरुष दोनों) मजबूत जनशक्ति बनकर उनके पीछे खड़े हों। महिला संगठन तभी सफल हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ के महिला मंडलों ने परंपरागत कानूनी प्रक्रियाओं और महिला आंदोलनों से हटकर एक बुनियादी सवाल उठाया है कि एक ब्याहता औरत और उसकी बेटी के कानूनी अधिकार दिलाने में आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है।

राजकुमारी मोटवानी की लड़ाई हर जागरूक नागरिक की लड़ाई बनी थी। आज उसके सामने यही चुनौती है कि वह चुपचाप तमाशा देखता रहे या कुछ रचनात्मक कदम उठाकर राजकुमारी मोटवानी जैसी औरतों को न्याय दिलाए।

अधिकारों की लड़ाई

अब राजकुमारी अपने मजबूत इरादे और महिला संगठनों की मदद से अपने पति के घर इज्जत की जिंदगी बिताने चली गई है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हर जागरूक नागरिक की है। आज समाज यह बात डंके की चोट पर कह दे कि वह औरतों के प्रति अन्याय बर्दाशत नहीं करेगा। राजकुमारी मोटवानी के प्रसंग ने यह दर्शा दिया है कि उस जैसी औरतें अब अकेली नहीं हैं। बहिनापा उभरा है जो जाति, धर्म, वर्ग और राजनीति से ऊपर है।

औरतों का अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सड़क पर आकर एक बहन के लिए न्याय मांगना साहस का नमूना है। औरत के प्रति अन्याय को पहचानकर आवाज उठाना है। 'महिला विमुक्ति आंदोलन' का उद्देश्य परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। औरतों को उनके अधिकार मिलने ही चाहिएं और वे भी इज्जत की जिंदगी जीने की उतनी ही हकदार मानी जाएं जितने पुरुष।

छत्तीसगढ़ के अन्य छः जिलों में भी महिला पंचायत की बैठकें आयोजित की जाएंगी। ये उन क्षेत्रों की औरतों के केसों की सुनवाई करेंगी और फैसला देंगी।

× × × ×

राजकुमारी की संघर्षपूर्ण कहानी

राजकुमारी का ब्याह रायपुर के अशोक मोटवानी से 10 जून, 1979 को हुआ था। ससुराल में उसकी 5 ननदें, एक देवर व सास-ससुर हैं। वह बी.एस-सी. पास है। शादी के बाद उसने बी.एड. किया। उसका पति एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि है।

शादी के समय उसकी ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की। राजकुमारी के पिता ने उन्हें बहुत सा सामान दिया। एक महीने ससुरालवालों का व्यवहार ठीक रहा। फिर वह बिलासपुर गई जहां उसके पति नौकरी करते थे। साथ में सास, देवर और ननदें भी गईं। वहां सब मिलकर उसके काम में नुक्स निकालते। पड़ोस की औरतों से उसे बात करने नहीं दिया जाता और उसकी बुराई की जाती।

शादी के बाद जब पहली बार वह अपने मायके गई तो साथ में एक ननद भी गई जिसका व्यवहार राजकुमारी के मायके वालों के साथ बहुत खराब रहा। बी.एड. राजकुमारी ने मायके में रहकर ही किया।

व्याह के एक साल बाद उसके ससुराल वालों ने कहना शुरू किया कि वे उसे नहीं रखेंगे। उसे जबरन उसके मायके भेज दिया गया। 1982 में पंचायत बुलाई गई। अशोक के मामा श्री नूतन दास ने समझौता कराया। उसके पति, सास-ननदें व देवर उसे मारते-पीटते भी थे। जब वह मां बनने वाली हुई तब सास की मर्जी के खिलाफ उसने ससुराल में ही रहने का निश्चय किया, पर खर्च उसे मायके से ही मंगवाना पड़ा। बच्ची के जन्म के बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार खराब ही बना रहा।

एक दिन तो हद हो गई। दिन भर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह रात को रसोई में गई, क्योंकि भूख से बेचैन थी। उसकी ननद ने उसके हाथ से रोटी छीन ली। दूसरे दिन सुबह जब नन्हीं मुनिया के लिए दूध गर्म किया तो ननद ने दूध छीन लिया। राजकुमारी का पति सब कुछ देखकर भी चुप रहा।

उस दिन राजकुमारी ने तय किया कि वह डाक्टर

मेघानी (जिन्होंने उसका रिश्ता तय करवाया था) के पास जाकर फैसला कराएगी कि ससुराल में उसे रोटी पाने का अधिकार है या नहीं ? तब कालोनी के लोगों को पता चला कि घर में क्या हो रहा है। पड़ोसियों ने निंदा की और उसके पति से मिले तो पति को शर्म महसूस हुई। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़ कर माफी मांगी।

पिता के मरने पर वह मायके गई। उसे वापिस लाने कोई नहीं गया। उसने स्वयं घर में आने की कोशिश की पर नाकामयाब रही। उसने सिंधी पंचायत से तीन बार मामला तय कराने की कोशिश की। उन लोगों ने मामला सुलझाना तो दूर, उल्टे झूठी अफवाह उड़ा दी कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। तब राजकुमारी ने बिलासपुर थाने में रपट लिखवाई कि ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते हैं और मुझे मारते-पीटते हैं और एक लाख रुपये की मांग करते हैं।

पहला मुकदमा

1987 में रायपुर में उसकी मां और भाभी उसके ससुराली रिश्तेदारों से मिलीं जिन्होंने बताया कि उसकी सास कभी भी मामले को सुलझने नहीं देगी। सिंधी पंचायत के सदस्य श्री भोजवानी ने राजकुमारी से कहा कि तुम घर जाकर रहो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। रायपुर की सिंधी पंचायत ने राजकुमारी का साथ दिया। भोजवानी जी ने अशोक से कहा कि अगर तुम राजकुमारी को नहीं रखोगे तो तुम्हारा बुरा हाल किया जाएगा। समाज के लोग राजकुमारी को उसकी ससुराल छोड़ गए। 6 महीने ससुराल वालों का व्यवहार कुछ ठीक रहा। उसके बाद वही सब शुरू हो गया। पति ने एक दिन उससे तलाक के कागज पर दस्तखत कराने चाहे। राजकुमारी ने उसे मुंह में रखकर चबा लिया और कहा कि वह तलाक नहीं चाहती। फिर वे लोग उसे नशीली गोलियां खिलाने लगे। उसे बहुत नींद आती और खड़े-खड़े वह गिर जाती। 7 जुलाई 1988 को उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। कुछ दिन बाद आधी बेहोशी की हालत में उसका देवर उसे मायके पहुंचा आया। जब उसके भाई ने भोजवानी जी को यह बताया तो वह दंग रह गए और कहा कि उसे अभी वापिस ससुराल लेकर जाओ। भोजवानी जी ने उन्हें श्री गणेश आहूजा वकील से भी मिलवाया और 498 ए में मुकदमा दर्ज कराया। 10 अगस्त 1988 को उसका पति और छोटी बहनें गिरफ्तार कर ली गईं। देवर और ससुर गायब हो गए। सास अपने मायके चली गई। पति और बहनें जल्दी जमानत देकर छूट गए।

राजकुमारी ने जबलपुर में भरण-पोषण का केस भी दर्ज किया, पर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे पति के दूसरे ब्याह की खबर मिली। पति ने रेखा नामक 22 वर्ष की लड़की से जो केवल पांचवीं तक पढ़ी थी, तिरुपति जाकर शादी कर ली।

संगठन की मदद

राजकुमारी श्रीमती सयाल से मिली और उन्हें बताया कि वह ससुराल जाना चाहती है। ससुराल

आओ मिलजुल गाएं
(नारीवादी गानों का कैसेट)

जागोरी ने हाल ही में नारीवादी गानों का तीसरा कैसेट निकाला है। इसके पहले जो दो कैसेट बनाए हैं उनके नाम हैं 'तोड़ो बंधन' और 'बुलंद इरादे'।

'आओ मिलजुल गाएं' में बारह गाने हैं। सभी गाने संगीत से सजे हैं। यह कैसेट 30/- का है और इसके साथ गानों की किताब भी है जो 7/- की है। पहले दो कैसेट 20/- 20/- रुपये के हैं।

मंगवाने का पता है
जागोरी
बी-5 हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी
साऊथ एक्सटेंशन पार्ट 1
नई दिल्ली-110049

के घर पर उसका और उसकी बेटी का पहला अधिकार है। छत्तीसगढ़ की महिला जागृति संगठन की बहनों ने उसका साथ दिया। उसके साथ 7 से 10 दिसंबर तक उसके घर के आगे धरना दिया।

अशोक मोटवानी सामने नहीं आया। संगठन की 100 बहनों का साथ पाकर वह घर के अंदर घुस तो गई, पर सास ने उसकी डंडे से पिटाई की और उसकी आंखों में मिर्ची डालीं। संगठन की औरतों का धरना जारी रहा। पुलिस के दो सिपाही भी तैनात थे।

18 दिसंबर को 498 ए के मातहत सास और ननदों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वह उसी घर में एक कमरे में रहती रही। दो कमरों में ताला लगा था। घर में खाने-पीने का कुछ सामान था, कुछ उसके भाई ने मदद की। सास-ससुर दो महीने बाद आए तो उसने दर्वाज़ा नहीं खोला। 7 मार्च को अशोक ने दर्वाज़ा तोड़ कर घर में प्रवेश किया। उसके बाद सास-ससुर व एक रिश्तेदार लीलाराम भी साथ रहने लगे।

उसके लिए एक मेज और गैस का चूल्हा, एक कमरे में रख दिया गया कि बनाए और खाए। फिर भी उसे हर संभव तरीके से तंग किया जाता रहा ताकि वह घर छोड़कर चली जाए। यहां तक कि उसका भाई जब भी मदद के लिए आता उसे अपने साथ पुलिस को लाना पड़ता। एक बार भाई ने 200 रु० दिए तो सास ने भाई के जाने के बाद उससे छीन लिए।

अशोक अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक मित्र के मकान में रह रहा था। एक दिन राजकुमारी से आकर बोला कि तुम मेरे साथ रहो। उसने साफ इंकार कर दिया। वह ताड़ गई कि पति की योजना यह है कि वह इस बहाने घर से निकल जाए और अशोक दूसरी पत्नी के साथ अपने घर में आकर रहने लगे। ससुर, पति और सास सबने उसे मारा और कहा कि वे पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करा देंगे। एक दिन सास ने अपने को चाकू गोद लिया और कहा कि मैं पुलिस में रपट लिखाने जा रही हूं कि बहू ने मारा है। बड़ी ननद ने उसकी खूब पिटाई की। दूसरे दिन सुबह सबने घसीट कर उसे घर के बाहर निकाल दिया। मुनिया को भी पटक दिया। वह रोती कह रही थी—"मम्मी मैं समझी थी कि सपना देख रही हूं पर यह तो सच है।" पूरी कालोनी ने यह दृश्य देखा। उसके भाई ने आकर उसका मैडिकल चैकअप कराया। दिन में वह दर्वाज़ा तोड़कर घर में गई। देवर रसोई में छिप गया। पुलिस ने उसे उस दिन गिरफ्तार कर लिया। बाकी सब लोग उस दिन वहां से चले गए। धीरे-धीरे उसके सास-ससुर वहां से सामान हटाते रहे।

लड़ाई जारी है

राजकुमारी साहस के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, शहर का हर आदमी यह जानता है। सबने उसकी मजबूत इच्छा-शक्ति को सराहा है, पर मोटवानी परिवार अब भी अपनी जिद पर है कि वह राजकुमारी के मानसिक असंतुलन के आधार पर अशोक को तलाक दिलवा सकेगा।

क्या आपको लगता है राजकुमारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है? क्या पागल लड़की बी.एस-सी. पहले दर्जे में पास कर सकती है? क्या पागल स्त्री पत्रकारों, पुलिस अफसरों व नागरिकों को तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात बता सकती है?

30 मई 1990 को राजकुमारी के पक्ष में एक और निर्णय लिया गया। राजकुमारी के पति और ससुर की कोशिश थी कि कोर्ट का सहारा लेकर वे उसे घर से निकाल दें, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि राजकुमारी को उसके वैवाहिक घर में रहने का पूरा अधिकार है। इस समय राजकुमारी और उसकी बिटिया ससुराल के घर में रह रही हैं। उसे विश्वास है कि अब उसे धोखे से भी वहां से नहीं निकाला जा सकता। राजकुमारी अब नौकरी तलाश रही है और बेटी को स्कूल में भर्ती करने की तैयारी कर रही है ताकि दोनों सामान्य जीवन बिता सकें। □

'राजकुमारी की कहानी अपनी जुबानी' पर आधारित।